(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1627/पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2011 पारित द्वारा तहसीलदार, राजपुर, जिला बड़वानी प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/2010-11.

गिरधारी पिता गोपाल
निवासी ग्राम छोटी खरगौन,
तह. राजपुर, जिला बड़वानी, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. नत्थूलाल पिता गोपाल महाजन
   निवासी ग्राम वास्वी, तहसील राजपुर,
   जिला बड़वानी, म.प्र.
2. गीताबाई बेवा किशोर महाजन
   निवासी ग्राम जुलवानिया,
   तह. राजपुर, जिला बड़वानी, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राजपुर, जिला बड़वानी द्वारा पारित दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, राजपुर, जिला बड़वानी के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 का दाविया भूमि के सीमांकन के पश्चात् हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छोटी खरगौन की भूमि सर्वे क्रमांक 105/4, 106

रकबा 2.10 तथा 2.05 की भूमि का सीमांकन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 49/अ-12/10-11 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेशित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित कर दी तथा तहसीलदार के द्वारा दिनांक 31.05.2011 को सीमांकन आदेश पारित किया गया, जिसके आधार पर अनावेदकगण द्वारा उक्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध संहिता धारा 250 का आवेदन पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आवेदक को उक्त सीमांकन की जानकारी प्राप्त हुई। आवेदक के द्वारा उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई, जो कि प्रचलन योग्य न होने से आदेश दिनांक 31.03.2012 से निरस्त कर दी गई। इस कारण आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन के अंतर्गत की गई कार्यवाही व पारित आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक का आधिपत्य उक्त भूमि पर 20-25 वर्षों से होकर इसकी जानकारी अनावेदकगण को पूर्व से रही है, जिसके आधार पर उसके द्वारा पूर्व में दिवानी न्यायालय में दिवानी वाद व्यवहार न्यायालय राजपुर में दिवानी वाद क्रमांक 9ए/87 पेश किया होकर उसका निर्णय 07.05.1997 को होकर अनावेदकगण का वाद निरस्त किया होकर आवेदक का कब्जा नहीं माना गया, उक्त निर्णय के विरूद्ध अनावेदकगण के द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक 10ए/97 भी दिनांक 17.02.1999 को निरस्त फरमाई गई है। उक्त निर्णय एवं जय पत्र अंतिम होकर अनावेदकगण पर बंधनकारक है। ऐसी स्थिति में बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उक्त सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन के पूर्व आवेदक तथा उक्त भूमि के समीपवर्ती कृषकों को विधिवत सूचना पत्र दिये बिना उनके पीठ-पीछे प्रश्नाधीन सीमांकन की कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदक को कभी सीमांकन की कार्यवाही में उपस्थित रहने बावद कभी कोई सूचना पत्र नहीं दिये गये और न ही उक्त सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में हुआ है। अत: अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

उक्त सीमांकन को उचित व सही ठहराने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है। सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत की गई होने से निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में 1996 आर.एन. 357 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि सदर प्रकरण में जो सीमांकन की कार्यवाही की गई है, वह बिना किसी स्थाई निशान से नहीं की गई है, जबकि उक्त सीमांकन की कार्यवाही गांवों के किसी पुराने सीमाचिन्ह से मिलान कर तथा समीपवर्ती कृषकों की उपस्थिति में करना आवश्यक होता है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रकरण में अनावेदकगण को फायदा पहुंचाने की नियत से त्रुटिपूर्ण एवं एकतरफा सीमांकन किया गया है। अत: उक्त सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक की भूमि शामिल होने बावद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक का आधिपत्य उक्त भूमि पर वर्षों से चला आ रहा है। आवेदक को तथा अन्य समीपवर्ती कृषकों को उक्त सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व उपस्थित रहने बाबद कोई विधिवत सूचना पत्र भी प्रेषित ही नहीं किये गये। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अवैध होकर विधि विरूद्ध है। इस संबंध में 1980 आर.एन. 244, 1977 आर.एन. 394, 1998 आर.एन. 106 (उच्च न्यायाल) तथ 1991 आर.एन. 290 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही के अंतर्गत बनाया गया पंचनामा एकतरफा होकर उस पर कोई स्वतंत्र पंचों के हस्ताक्षर नहीं लिए गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन बाबद बनाया गया पंचनामा अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस आधार पर पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि कथित सीमांकन की कार्यवाही के अंतर्गत के आधार पर तैयार की गई फील्डबुक अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन बाबद तैयार की गई फील्डबुक अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस आधार पर पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय जो आदेश पारित किया गया है, वह माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। पंचनामे को देखने से स्पष्ट होता है कि पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं। अत: प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदक को विधिवत सूचना देकर उसकी उपस्थिति में किया गया है तथा भू-अभिलेख में अनावेदक का ही नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आवेदक द्वारा स्वत्व को लेकर उठाई गई आपत्ति सीमांकन में विचार योग्य नहीं है। अत: तहसीलदार, राजपुर द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित एवं वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राजपुर, जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2011 स्थिर रखा जाता है। निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर